हेमंत गुप्ता और मोहिंदर पाल, न्यायाधीशों के समक्ष।

संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य,—याचिकाकर्ता

बनाम

राचो देवी और एक अन्य,—प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 5994/सीएटी 2007

14 मार्च, 2008

भारत का संविधान, 1950— अनुच्छेद 14, 16 और 226— भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 9 अक्टूबर, 1998, 3 दिसंबर, 1999 और 5 मई, 2003— प्रतिवादी संख्या 1 के पति का कार्यरत अवस्था में निधन–अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा–भारत सरकार की नीति के अनुसार केवल 5% पदों को सीधी भर्ती से उन आश्रितों में से भरा जाना है जिनके परिवार के सरकारी कर्मचारी का निधन हो गया है–वास्तव में योग्य मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की सिफारिश–अनुकंपा नियुक्ति के लिए व्यक्ति के नाम पर विचार करने की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष, जो कि 5 मई, 2003 के परिपत्र द्वारा तय की गई थी-यदि 3 वर्षों के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति देना संभव नहीं होता है तो आवेदक का मामला अंततः बंद कर दिया जाएगा और फिर से विचार नहीं किया जाएगा–अनुकंपा नियुक्ति तात्कालिक वित्तीय संकट से उबरने के लिए होती है–अनुकंपा नियुक्ति न तो नियुक्ति का एक स्रोत है और न ही एक अधिकार–ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश जिसमें अनुकंपा आधार पर उपलब्ध पदों के खिलाफ आवेदकों के दावे को पुनः विचार करने का निर्देश दिया गया, कानून में उचित नहीं है और बरकरार नहीं रखा जा सकता–याचिकाएं स्वीकार की गईं, ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश रद्द किए गए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति केवल दिवंगत सरकारी कर्मचारी की विधवा, पुत्र और पुत्रियों के लिए उनकी मृत्यु के बाद होने वाली वित्तीय तंगी से निपटने के लिए ही स्वीकार्य है। अन्यथा, वंशानुगत आधार पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे में नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए विचारणीयता का अधिकार समय-समय पर तैयार की गई नीति या योजना के अनुसार होता है और योजना के बाहर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है।और भी, समयावधि के बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मांग नहीं की जा सकती है। सार्वजनिक रोजगार को धन के रूप में देखा जाता है और अनुकंपा आधार पर नियुक्ति केवल परिवार के मुखिया की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली तात्कालिक वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जा सकती है।

इसके आगे अभिनिर्धारित किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति के नाम पर विचार किए जाने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। यह इस शर्त पर निर्भर था कि निर्धारित समिति ने पहले और दूसरे वर्ष के अंत तक आवेदक की दरिद्रता की स्थिति की समीक्षा की हो और प्रमाणित किया हो। तीन वर्षों के बाद, यदि अनुकंपा नियुक्ति आवेदक को दी जाने में संभव नहीं

होती है, तो उसका मामला अंततः बंद कर दिया जाएगा और उसे फिर से विचार में नहीं लिया जाएगा।

(अनुच्छेद 25)

इसके आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई तर्क विधिसम्मत नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति को मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को दिया जाना चाहिए ताकि वे तत्कालीन वित्तीय संकट का सामना कर सकें। 6 वर्षों की अवधि के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति आश्रित सरकारी कर्मचारी को इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि कोई पद उपलब्ध नहीं था। इसलिए, विद्वान ट्रिब्यूनल के सामने आवेदक इतनी लंबी अवधि के बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता है और अपने मामले को लंबित रखने की उम्मीद नहीं कर सकता।

(अनुच्छेद 27)

इसी प्रकार, सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 6992-CAT के 2007 मामले में, विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया तर्क विधिसम्मत नहीं है। निस्संदेह, सामान्य समिति ने वर्ष 2004 में सिफारिशें की थीं, लेकिन कही गई सिफारिशें आवेदक के पिता की मृत्यु के 5 वर्ष बाद की गई थीं। आवेदक का नाम अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता है और यह प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है कि आवेदक बालिग हो। अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का सम्पूर्ण उद्देश्य कुछ वित्तीय संकट से पार पाना है। यह न तो नियुक्ति का स्रोत है और न ही एक अधिकार। इसलिए, आवेदक का नाम सूची से वर्ष 2005 में हटाना अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह दिवंगत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के लगभग 7 वर्षों के बाद हटाया गया था।

(अनुच्छेद 28)

इसके आगे यह भी माना गया है कि सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 5999-CAT के 2007 के मामले में ज्ञानी ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि आवेदकों से जूनियर लोगों को नियुक्ति दी गई है, समिति के मिनट्स पर आधारित है। ऐसा निष्कर्ष बिना किसी दलील के और याचिकाकर्ताओं को समिति के मिनट्स में ऐसे नोटिंग की व्याख्या करने का मौका दिए बिना वापस कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि 49 ग्रुप-सी पदों के विरुद्ध, 4 पद पहले ही अनुकंपा नियुक्तियों के द्वारा भरे जा चुके हैं और इसी तरह 133 ग्रुप-डी पदों में से 13 पदों को अनुकंपा नियुक्ति के जरिए भरा गया है। यह तथ्य ज्ञानी ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत लिखित बयान में भी दावा किया गया था और आवेदकों द्वारा विरोध नहीं किया गया था। इसलिए, ज्ञानी ट्रिब्यूनल का इस प्रभाव का निष्कर्ष वापस करना जायज़ नहीं था कि आवेदकों से जूनियर लोगों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी गई है।

(अनुच्छेद 30)

हेमंत गुप्ता, जे.

(1) यह आदेश सिविल रिट याचिका संख्या 5994-CAT के 2007 का निपटान करेगा, जो कि चंडीगढ़ की केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ शाखा (इसे 'ट्रिब्यूनल' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 31 अगस्त, 2006 को दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को आवेदक-राचो देवी की उसके अनुकंपा नियुक्ति के दावे को किसी भी उपलब्ध पद के विरुद्ध विचार करने के लिए कहा गया था जो उस उद्देश्य के लिए है; सिविल रिट याचिका संख्या 5999-CAT के 2007 का निपटान, जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा 30 अगस्त, 2006 को दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को आवेदक-भूपिंदर कौर की उसके अनुकंपा नियुक्ति के दावे को किसी भी उपलब्ध पद के विरुद्ध विचार करने के लिए कहा गया था और सिविल रिट याचिका संख्या 6962-CAT के 2007 का निपटान, जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा 14 नवंबर, 2006 को दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें याचिकाकर्ताओं को आवेदक नंबर 2-बलवीर सिंह के चतुर्थ श्रेणी के पद के दावे पर विचार करने के लिए कहा गया था।

(2) चूंकि तीनों याचिकाओं में उठने वाले मुद्दे समान हैं, इसलिए सभी तीन मामलों का निपटान एक सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, मुख्य रूप से, तथ्य सिविल रिट याचिका संख्या 5994-CAT के 2007 से लिए गए हैं।

(3) उक्त मामले में, मोहिंदर पाल, जो उत्तरदाता संख्या 1 के पति थे, चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही के रूप में तैनात थे। उनकी मृत्यु 9 अप्रैल, 1998 को हुई थी। उत्तरदाता संख्या 1 ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन किया था क्योंकि उसके तीन बच्चे थे जिनकी उम्र 11 वर्ष, 9 वर्ष और 7 वर्ष थी और उसके पास जीवन-यापन का कोई साधन नहीं था। उत्तरदाता संख्या 1 का 30 जून, 1998 को दिनांकित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाला आवेदन, यूनियन टेरिटरी प्रशासन की एक सामान्य समिति द्वारा विचाराधीन किया गया था, जिसे इस प्रकार की अनुरोधों के विचार के लिए गठित किया गया था। इस बात पर जोर दिया गया है कि आवेदक-उत्तरदाता संख्या 2 का नाम तो नियुक्ति के लिए सिफारिश किया गया था, परंतु,—संचार दिनांक 18 मार्च, 2005, अनुलग्नक A-16 के अनुसार, अनुरोध को 3 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण हटा दिया गया था। यही संचार वह था जिसे विद्वान ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती के विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

(4) याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 9 अक्टूबर, 1998 को परिचालित की गई थी। उत्तरदाता संख्या 2, उक्त योजना के तहत नियुक्ति के लिए पात्र होने के नाते, सीधी भर्ती के 5% पदों के विरुद्ध अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने का हकदार है। यह भी दावा किया जा रहा है कि उत्तरदाता संख्या 2 का नाम 3 वर्षों से अधिक पुराने मामले होने के कारण हटा दिया गया है। यह बताया गया है कि 49 ग्रुप- C पदों के विरुद्ध 4 पद पहले ही अनुकंपा नियुक्तियों के माध्यम से भरे जा चुके हैं और इसी तरह 133 ग्रुप-D पदों में से 13 पदों को अनुकंपा नियुक्ति के जरिए भरा गया है, और इस प्रकार ऐसा कोई पद उपलब्ध नहीं है जो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सके। इस पर भी ध्यान दिया गया है कि 5 मई, 2003 को जारी एक परिपत्र में अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश के लिए किसी व्यक्ति के नाम को विचाराधीन रखने का अधिकतम समय 3 वर्षों का होने का प्रावधान था। चूंकि कोई भी रिक्ति

नहीं थी जिसके खिलाफ आवेदक की नियुक्ति की जा सके, इसलिए उसके नाम को ठीक तरह से हटाया गया था।

(5) इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सिविल रिट याचिका संख्या 5999-CAT की 2007 में, करुणा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों की एक सूची को परिशिष्ट A-4 के रूप में संलग्न किया गया है। संबंधित सूची में पहला उम्मीदवार भगवंती है, जिनके पति का निधन 6 अप्रैल, 1996 को हुआ था। राचो देवी का नाम क्रम संख्या 12 पर है, जबकि मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख 10 अप्रैल, 1998 है। सिविल रिट याचिका संख्या 5999-CAT की 2007 में आवेदक यानी भुपिंदर कौर का नाम उस सूची में क्रम संख्या 15 पर है, जिसमें मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख 2 मई, 1998 है। परिशिष्ट A-4 की सूची की समीक्षा से यह पता चलता है कि सूची को मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के अनुसार ही बनाए रखा गया है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता यह संकेत नहीं कर सके कि सूची में नीचे के किसी भी व्यक्ति को आवेदक के प्राथमिकता के मुकाबले नियुक्ति प्रदान की गई हो।

(6) याचिकाकर्ताओं के लिए प्रवीण वकील ने तीव्रता से तर्क दिया है कि कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित सदस्यों को दी जाने वाली सहायक नियुक्ति, तात्कालिक वित्तीय संकट से उबरने के लिए एक रियायत है। यह रोजगार का स्रोत नहीं है और इसलिए मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों में से 5% पदों की भर्ती की व्यवस्था को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। प्रशासन ने मृत सरकारी कर्मचारियों के योग्य आश्रित सदस्यों की एक सूची बनाई हुई है और रोजगार केवल योजना के अनुसार ही दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, योजना के अनुसार, सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्त हुए पदों की अधिकतम 5% सीमा तक, समूह-सी और समूह-डी श्रेणियों में केंद्र सरकार के द्वारा प्रसारित अनुकम्पा नियुक्ति के लिए नियमावली–जिसे 9 अक्टूबर, 1998 को जारी किया गया था–के अनुसार नियुक्ति दी जा सकती है। चूंकि सीधी भर्ती कोटे में रिक्त होने वाले 5% पद पहले ही मृत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों से भरे जा चुके हैं, इसलिए आवेदक नियुक्ति के लिए कोई निर्देश नहीं मांग सकता है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक के मामले पर पुनर्विचार के लिए विद्वान न्यायाधिकरण का निर्देश पूरी तरह से अनुचित है जब 5 मई, 2003 का परिपत्र सूची की वैधता को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित करता है।

(7) दूसरी ओर, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ताओं ने यह तर्क दिया है कि आवेदकों को नियुक्ति न देने की याचिकाकर्ताओं की कार्रवाई पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। आवेदन के पैरा 10 में किए गए आरोप का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि 2001-2004 के बीच स्वीपर्स के 7 पद, मालियों के 5 पद और चपरासियों के 2 पद खाली हुए थे और इस प्रकार, यह तर्क देने की कोशिश की गई थी कि पद उपलब्ध थे और, इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदक के दावे पर विचार न करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। यह भी तर्क दिया गया है कि वी. के. चोपड़ा की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति देने में चयनित और पसंदीदा नीति अपनाई है।

(8) सिविल रिट याचिका संख्या 6992-CAT के 2007 में, प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क था कि प्रतिवादी-आवेदक संख्या 2 ने अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और वह शारीरिक परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो सके। एक ओर, जहां आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षण में अनुत्तीर्ण होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई, वहीं दूसरी ओर, अन्य प्रत्याशियों के मामले में शारीरिक योग्यता के मानकों में छूट

दी गई है ताकि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जा सके, और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी को अनुकंपा नियुक्ति नियुक्ति न देना अन्यायपूर्ण है। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय "**दया कौर बनाम हरियाणा राज्य विद्युत मंडल,**[1] पर भी निर्भर किया है, जिसमें पाया गया है कि आश्रित को नियमों में दर्शाई गई सीमा अवधि के भीतर आवेदन करने के लिए पात्र होना चाहिए। जब नाबालिग किसी अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होता है, तो सीमा अवधि का आरंभ उसकी बालिग होने की तारीख से होना चाहिए । इसलिए, आवेदक को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए थी।

(9) न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में अनुकंपा नियुक्ति की नीति के पीछे के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। **भारत के महालेखाकार और अन्य बनाम जी अनंत राजेश्वर राव,**[2] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि वंशानुगत आधार पर नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन करती है। लेकिन केवल मृतक सरकारी कर्मचारी के पुत्र, पुत्री या विधवा को, जो कि कार्य में मृत्यु हो गई थी और जिन्हें तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता है, केवल उनकी नियुक्ति स्वीकार्य होगी। निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

> "XX XX XX XX
>
> अतः, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए सही निर्णय लिया है कि वंशानुगत आधार पर नियुक्ति स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन करती है। लेकिन, फिर भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि नियुक्तियां केवल मृतक सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री या विधवा तक ही सीमित होती हैं जिसकी कार्य में मृत्यु हो गई थी और जिन्हें पारिवारिक आय के नुकसान की भरपाई करने और परिवार के सदस्यों की आर्थिक संकट को कम करने के लिए तत्काल नियुक्ति की जरूरत है, और यदि परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला सदस्य न हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।"

(10) "**उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य**[3] मामले में, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित रूप से आदेश दिया है:—

> " अनुकंपा आधार पर रोजगार का पूरा उद्देश्य, परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है। उद्देश्य परिवार के सदस्य को नौकरी देना नहीं है, और न ही ऐसा पद जो मृतक द्वारा धारित किया गया था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु से उसके परिवार को जीविका का साधन मिलने का हक नहीं बनता है। सरकार या सार्वजनिक प्राधिकारी को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति का परीक्षण करना चाहिए और केवल यह संतुष्ट होने पर कि रोजगार की पेशकश के बिना परिवार संकट का सामना नहीं कर पाएगा, तभी परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। "उद्देश्य यह है कि मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के समय परिवार जो

[1] 1996 (2) S.C.T.446
[2] 1994 (1) S.C.C.192
[3] 1994 (4) S.C.C. 38

> वित्तीय संकट का सामना कर रहा होता है, उससे उबरने में सक्षम बनाया जा सके, इसलिए अनुकंपा आधार पर रोजगार का दावा नहीं किया जा सकता है और न ही यह समय की अवधि के बाद और संकट के समाप्त हो जाने के बाद दिया जा सकता है।"
>
> XX XX XX

(11) **जगदीश प्रसाद बनाम बिहार राज्य**[4] मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग आश्रित के बहुमत के बाद अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति के दावे को निम्नलिखित टिप्पणी करके अस्वीकार कर दिया था:—

> "एक दिवंगत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति का मूल उद्देश्य, जो काम के दौरान मर गया था, परिवार को अचानक आयी विपत्ति और तुरंत आई कठिनाई से राहत दिलाना है। चूँकि मृत्यु बहुत पहले वर्ष 1971 में हुई थी, जिस वर्ष अपीलकर्ता चार वर्ष का था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत बाद में बालिग होने के बाद नियुक्ति के हकदार हैं। दूसरे शब्दों में, अगर उस तर्क को स्वीकार किया जाए, तो यह दिवंगत सरकारी सेवक के आश्रित के लिए नियुक्ति नियमों के अलावा एक और तरीका बन जाता है, जिसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।"

(12) **हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड बनाम नरेश तंवर** [5] मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अदालत के कुछ आदेशों को पलट दिया जिनमें दिवंगत कर्मचारियों के नाबालिग आश्रितों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था, जो कर्मचारी की मृत्यु के समय नाबालिग थे। उच्च न्यायालय के आदेशों को खारिज करते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उमेश कुमार नागपाल के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून को निम्नलिखित शब्दों में पुनः दोहराया:—

> "उमेश कुमार नागपाल के फैसले (सुप्रा) में यह संकेत दिया गया है कि अनुकंपा आधार पर आधारित नियुक्ति को उचित अवधि के लंबे समय बाद नहीं दिया जा सकता है और खुली भर्ती के सामान्य नियम के विपरीत अनुकंपा आधार पर आधारित नियुक्ति का उद्देश्य दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा झेली जा रही आर्थिक समस्या को मिटाना है। इसी अदालत के अन्य फैसले में जगदीश प्रसाद के मामले में भी यह संकेत दिया गया है कि दिवंगत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति का मूल उद्देश्य, जो काम के दौरान मर जाता है, परिवार को अचानक परिवार के कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण हुई तुरंत आई कठिनाई और संकट से राहत दिलाना है और ऐसी विचारधारा को वर्षों तक बाध्यकारी नहीं रखा जा सकता है।"

(13) उपरोक्त निर्णयों पर विचार करते हुए, **चरणप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य सरकार के सचिव, पंजाब शिक्षा विभाग**[6]**,** के मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार का परिपत्र एक नाबालिग आश्रित को अनुग्रह रोजगार के लिए आवेदन करने का

[4] 1996(1) S.C.C. 38
[5] 1996(8) S.C.C.23
[6] 2000(2) S.C.T. 444

अधिकार देता है। उसके वयस्क होने के छह महीने के भीतर उसे अतिरिक्त उदारता नहीं कहा जा सकता। यह पाया गया कि छह महीने की अवधि की सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है जिसके भीतर नाबालिग आश्रित को वयस्क होने के बाद आवेदन जमा करना होता है। निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :-

> "सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में देखा जाए तो, पंजाब सरकार द्वारा 8 अगस्त, 1998 को जारी परिपत्र, जिसमें नाबालिग आश्रित को छह महीने के भीतर अनुग्रहपूर्वक रोजगार के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया था, को अतिरिक्त उदार नहीं कहा जा सकता है। इस परिपत्र के आधार पर नाबालिग आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का हकदार हो जाता है, भले ही कमाने वाले की मृत्यु और वयस्क होने के बाद नाबालिग द्वारा आवेदन जमा करने के बीच समय का अंतर हो| हालाँकि, चूंकि उस सीमा या छह महीने की अवधि में छूट का कोई प्रावधान नहीं है जिसके भीतर नाबालिग आश्रित को वयस्क होने के बाद आवेदन जमा करना होता है, हम प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर विचार करने का निर्देश देने वाली रिट जारी नहीं कर सकते, जिसने अपने स्वयं के प्रदर्शन के अनुसार, अपनी मां के निधन के नौ साल से अधिक समय के बाद और अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के लगभग एक वर्ष बाद अनुग्रह रोजगार के लिए आवेदन किया था।, हमारी सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता की वयस्कता प्राप्त करने के छह महीने के भीतर आवेदन करने में विफलता को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आइरिस की प्रार्थना को अस्वीकार करने का सही आधार बनाया गया है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का कोई वैध आधार नहीं है।"

(14) इसके बाद इस अदालत की एक विभाजन पीठ ने **सुभाष बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** [7] मामले में निम्नलिखित प्रभाव को माना है:—

> 'हमारा विचार है कि नियुक्ति की सामान्य प्रक्रिया कानूनी और विधिसंगत प्रक्रिया के अनुसरण में खुली भर्ती है। ऐसी प्रक्रिया का मतलब है कि नियुक्ति, रिक्तियों की पहचान के बाद की जाती है और फिर उन्हें सार्वजनिक रूप से विज्ञापित कर आम जनता से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, उम्मीदवारों की छंटनी, साक्षात्कार और शॉर्टलिस्टिंग एक तर्कसंगत और उचित तरीके से की जाती है। कानूनी तौर पर भर्ती के केवल दो ज्ञात तरीके/तरीके हैं। उनमें से एक खुली भर्ती है जैसा कि ऊपर बताया गया है और दूसरा रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरना है। अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा एक तीसरा स्रोत है जिसे अनुकंपा के आधार पर विकसित किया गया है लेकिन ऐसी अनुकंपा को मृतक के परिवार के किसी एक या अन्य सदस्य के पक्ष में बेलगाम घोड़े की तरह सरपट दौड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाती, तो ऐसा विचार लाखों अन्य परिवारों की अपेक्षाओं के विरुद्ध होगा जो अपने ब्रेडविनर की अकस्मात मृत्यु के कारण समान अनपेक्षित दुखों का सामना कर चुके हैं| अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा

[7] 2005(2) S.C.T. 478

> वस्तुतः खुली भर्ती की एक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया को मिटा देती है, परंतु इस न्यायालय की राय में, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए, ऐसी प्रक्रिया को एक अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह एक अन्यथा पारदर्शी प्रक्रिया, जिसे सामान्यत: खुली भर्ती कहा जाता है, में घुसपैठ कर और दरार पैदा कर देगा| इसका प्रभाव यह होगा कि अचानक, जब अन्य व्यक्ति नियमित नियुक्ति के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा में कतार में खड़े होते हैं, उनकी वैध अपेक्षाएं अचानक से उस करुणापूर्ण नियुक्ति के प्रार्थी द्वारा छीन ली जाएंगी, ऐसे समय में जब ऐसी नियुक्ति के विचार का अस्तित्व नहीं होता - मृतक अभिभावक का निधन 4/6 साल पहले हो चुका होता है - एक घटना जिसे नियमित नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों के सापेक्ष उचित कहा जाना मुश्किल है।
>
> इसलिए, हमारा विचार है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में कार्रवाई की निरंतरता नहीं हो सकती है

(15) **राज्य मणिपुर बनाम एम.डी. रजादिन**[8] मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन पर विचार किया, जो कि एक सरकारी कर्मचारी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री आदि से सम्बंधित था, जो कि अपने पीछे परिवार को दरिद्र परिस्थितियों में छोड़ कर मर जाते हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित प्रभाव के साथ निर्णय दिया:—

> "जैसा कि इस प्रकार की नियुक्तियाँ, जो उक्त योजना के तहत कल्पना की गई हैं, तत्काल संकटों से उबरने के लिए की जाती हैं, इसलिए आवेदन करने में तत्कालता की आवश्यकता निहित होती है। हालांकि यह तर्क दिया गया था कि उत्तरदाता अपने पिता की मृत्यु के समय नाबालिग था, यह ध्यान देने योग्य है कि वह 1980 में, जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी, 10 वर्ष का था। यहाँ तक कि यदि उसके बालिग होने के बाद की एक उचित अवधि को भी मान लिया जाए, तो 25 जुलाई, 1997 को की गई नियुक्ति की मांग वाला आवेदन निश्चित रूप से काफी विलंब से किया गया था।"

(16). "माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **कमिशनर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन्स और अन्य बनाम के.आर. विश्वनाथ**[9], में उल्लिखित मामले पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि परिवार में अचानक संकट आने की स्थिति में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का दावा उचित समय के भीतर विचार किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित प्रभाव से निर्णय दिया है:

> "..... अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कोई दूसरा भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि केवल उक्त आवश्यकता का एक अपवाद है जिसमें सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु के तथ्य का ध्यान रखा जाता है, जिससे उसका परिवार आजीविका के साधनों से वंचित हो जाता है। ऐसे मामलों में, उद्देश्य परिवार को अचानक आर्थिक संकट से निपटने में मदद करना होता है। लेकिन ऐसी अनुकंपा आधार

[8] 2003 (7) S.C.C.206
[9] 2005(7) S.C.C 206

पर नियुक्तियां नियमों, विनियमों या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए, जो कि मृत कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए होती हैं।"

(17) इस न्यायालय ने 2006 की सिविल रिट याचिका संख्या 13472, भारत संघ बनाम तिलक राज और एक अन्य, 5 दिसंबर 2007 को मृतक के मामले में, एक नाबालिग आश्रित की नियुक्ति के अधिकार के प्रश्न पर विचार किया है, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। वर्ष, जिसमें इसे निम्नलिखित प्रभाव के लिए रखा गया था;-

XX XX XX XX

यह स्पष्ट है कि नियुक्ति के लिए आवेदन प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु के 15 वर्षों के बाद किया गया था। अतः, ऐसे चरण में नियुक्ति, परिवार में मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने के लिए नहीं है। ऐसी नियुक्ति उचित समझी जा सकती अगर यह प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की मृत्यु के तुरंत बाद दी जाती। केवल यह तथ्य कि वह अपने पिता की मृत्यु के समय नाबालिग था, प्रतिवादी संख्या 1 को वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पाँच वर्षों के भीतर नियुक्ति की मांग करने का कोई अधिकार नहीं देता। अनुलग्नक पी.4 में दिए गए निर्देशों की व्याख्या करते समय कोर्ट द्वारा समझाए गए सिद्धांतों के अनुसार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। वैसे भी, निर्देशों के क्लॉज 3(द्वितीय) में स्पष्ट शर्त थी कि हालांकि महाप्रबंधक के पास समय बढ़ाने की शक्ति है लेकिन मामले 1० वर्षों से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, जैसा कि मृत्यु की तारीख से माना गया है। इसलिए, मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के 1० वर्षों के बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नियुक्ति की मांग नहीं की जा सकती।

XX XXX XXXX XXXX"

(18) इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस अदालत द्वारा बार-बार यह माना गया है कि न्यायालयों द्वारा दया के आधार पर नियुक्ति का निर्देश देना एक नियम के रूप में उचित नहीं होगा। यह माना गया है कि संबंधित प्राधिकारी को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी चाहिए और केवल यदि वह संतुष्ट होता है, कि रोजगार की प्रदानता के बिना परिवार संकट का सामना नहीं कर पाएगा, तब जाकर परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। इस अदालत की एक विभाजन पीठ ने "**गुरदेवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** [10]" मामले में निम्न प्रभाव में यह राय रखी थी।

XX XX XX XX

4. उपर्युक्त टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि उच्च न्यायालय अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का निर्देश एक नियम के रूप में देने में उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उमेश नागपाल के मामले में स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकार या

[10] 2005(2) P.L.R 516

> संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति का परीक्षण करना होगा, और केवल यदि वह संतुष्ट होता है, कि रोजगार की प्रदानता के बिना परिवार संकट का सामना नहीं कर पाएगा, तब जाकर परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। यह भी माना गया है कि निम्नतम पद पर भी रोजगार की प्रदानता केवल अभावग्रस्तता के खिलाफ राहत के रूप में ही उचित हो सकती है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मृतक के अभावग्रस्त परिवार के विरुद्ध लाखों अन्य परिवार भी हैं जो समान रूप से, यदि अधिक नहीं, तो अभावग्रस्त हैं। ऐसी रोजगार के लिए विचार कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य केवल परिवार को मुखिया की मृत्यु के समय का वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की स्पष्ट व्याख्या के मद्देनजर, यह मानना संभव नहीं होगा कि याचिकाकर्ता को मनमाने या अनुचित तरीके से नियुक्ति से वंचित किया गया है।
>
> XX XX XXX XX

(19) "'**विजय कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**'[11] मामले में, इस न्यायालय की विभागीय पीठ ने समय-समय पर हरियाणा राज्य द्वारा जारी किए गए नियमों और निर्देशों पर विचार किया और यह निर्णय दिया कि:—"

> "13. उपर्युक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का निर्देशन एक नियम के रूप में नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उमेश कुमार नागपाल के मामले में स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी चाहिए, और यह केवल तब ही संतुष्ट होना चाहिए, जब यह पाया जाए कि रोजगार की प्रदानता के बिना, परिवार संकट का सामना नहीं कर पाएगा, तब परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी प्रदान की जानी चाहिए। यह भी माना गया है कि निम्नतम पद पर भी रोजगार की प्रदानता केवल अभावग्रस्तता के खिलाफ राहत के रूप में ही उचित हो सकती है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मृतक के अभावग्रस्त परिवार के विरुद्ध लाखों अन्य परिवार भी हैं जो समान रूप से, यदि अधिक नहीं, तो अभावग्रस्त हैं। ऐसी नियुक्ति के लिए विचार कोई अधिकारित अधिकार नहीं है।"

(20) "माननीय उच्चतम न्यायालय ने '**आई.जी. (कार्मिक) और अन्य बनाम प्रह्लाद मणि त्रिपाठी**'[12] मामले में यह निर्णय दिया है कि सार्वजनिक रोजगार को एक संपत्ति माना जाता है और इसे उत्तराधिकार में नहीं दिया जा सकता। इसका प्रभाव इस प्रकार से बताया गया है:

> XX XXX XXX

[11] 2005(3) S.C.T. 750
[12] 2007 (6) S.C.C. 162

5. एक राज्य का कर्मचारी एक स्थिति का आनंद लेता है। राज्य के कर्मचारियों की भर्ती को एक अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अनुलग्नक से शासित किया जाता है। नियुक्ति के मामले में, राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत बताए गए समानता की संवैधानिक योजना को प्रभावी बनाने का दायित्व है। इसलिए, सभी नियुक्तियां इस संवैधानिक योजना के अनुरूप होनी चाहिए। हालांकि, इस कोर्ट ने उस प्रस्तावना पर बल देते हुए पुलिस विभाग में सेवाएं देते समय मर जाने या अक्षम हो जाने वाले अधिकारी के बच्चों या अन्य संबंधियों के पक्ष में एक अपवाद निकाला।

6. सार्वजनिक रोजगार को धन माना जाता है। संविधानिक योजना के अनुसार इसे वंशानुगत तौर पर नहीं दिया जा सकता। जब इस तरह का एक अपवाद इस कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है, तो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल परिवार द्वारा मुखिया की मृत्यु के कारण सामना किए जा रहे तत्कालीन कठिनाई को पूरा करने के लिए दी जाती है। जब अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्ति की जाती है, तो इसे केवल उस उद्देश्य तक सीमित रखा जाना चाहिए जिसे यह प्राप्त करना चाहता है, विचार यह है कि अनंत अनुकंपा के लिए प्रावधान नहीं करना है।

XX XX XX XX"

(21) In **"State Bank of India and another versus Somvir Singh**,[13] माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित कि या कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अंधाधुंध अनुदान बेरोजगार युवाओं की सतत बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के द्वार को बंद कर देगा। इसने आगे यह धारणा बनाई कि:—

XX XX XXX XXX

10. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता बैंक को केवल उसके द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार ही अनुकंपा नियुक्ति की अनुरोध को विचारना आवश्यक है और किसी भी अधिकारी को योजना के अलावा अनुकंपा नियुक्ति करने का कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ा गया है। हमारे विचारणीय मत में अनुकंपा नियुक्ति की मांग और यदि कोई अधिकार है, तो वह केवल नियोक्ता द्वारा अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान करने के मामले में बनाई गई योजना, कार्यकारी निर्देश, नियम, आदि से ही संबंधित हो सकता है। नियोक्ता द्वारा योजना या निर्देश के रूप में, जो भी मामला हो, अन्य किसी आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का कोई भी अधिकार प्रकृति में नहीं है।

XX XX XX XX"

[13] 2007 (4) S.C.C.778

(22). "**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम जसपाल कौर,**[14]" मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी नियोक्ता को अनुकंपा नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाली अपनी नीति की शर्तों के विरुद्ध काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता, और न ही नीति के अलावा अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश दिया जा सकता है। "**हरियाणा राज्य और अन्य बनाम अंकुर गुप्ता,**[15]" मामले में, अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था क्योंकि पाया गया था कि ऐसी नियुक्ति संशोधित नीति के तहत अनुमति नहीं थी। कहा गया था कि प्राधिकरण के लिए ऐसे नियम, विनियम बनाना आवश्यक है या प्रशासनिक आदेश जारी करना जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर खरे उतर सकें। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता। यह पाया गया कि सरकारी निर्देशों के अनुसार, केवल उन मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा सकता है जिनकी परिवारिक आय प्रति माह 25,000 रुपए तक है। पाया गया कि स्टिप्युलेशन में ढील दी गई थी, हालांकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके तहत ढील देना संभव था। उक्त निष्कर्ष के आधार पर, नियुक्ति रद्दीकरण का आदेश बरकरार रखा गया।

(23) उपरोक्त निर्णय के आधार पर, यह स्पष्ट है कि अनुकंपा नियुक्ति केवल दिवंगत सरकारी कर्मचारी की विधवा, पुत्र और पुत्रियों के आश्रितों को, कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद आर्थिक संकट से निपटने के लिए ही अनुमति है। अन्यथा, वंश पर आधारित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है और ऐसी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के विचार का अधिकार योजना या समय-समय पर तैयार की गई नीति के अनुसार है और योजना के बाहर किसी भी प्रकार की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। और भी, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति समय के पश्चात नहीं मांगी जा सकती है। सार्वजनिक रोजगार को धन समझा जाता है और अनुकंपा आधार पर नियुक्ति केवल कर्मचारी की मृत्यु के कारण आयी तत्कालीन वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए ही दी जा सकती है। उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामलों के तथ्यों की जांच की आवश्यकता है।

(24) विभिन्न मामलों के तथ्यों की जाँच से पहले, यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार ने 9 अक्टूबर, 1998 को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए एक नीति जारी की थी। उस नीति में, प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के अंतर्गत खाली होने वाले 5% पदों को दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों से भरने का विचार किया गया था। 3 दिसंबर, 1999 को जारी एक परिपत्र के माध्यम से, यह निर्णय लिया गया है कि 9 अक्टूबर, 1998 की नीति के पैराग्राफ 12 में वर्णित समिति, केवल वास्तव में योग्य मामले में और केवल अगर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित रिक्ति एक वर्ष के भीतर उपलब्ध होगी, तो भी 5% कोटा की सीमा के भीतर, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की सिफारिश की जानी चाहिए। 3 दिसंबर, 1999 का संबंधित परिपत्र इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> अधोहस्ताक्षरी को विभाग के कार्मिक और प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/6/94-Estt. (D), दिनांक 9 अक्टूबर, 1998 उपरोक्त विषय पर संदर्भित करने के निर्देश हैं और यह कहना है कि समानुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर उचित विचार किया गया है, जिसमें

[14] 2007 (9) S.C.C. 571
[15] 2003 (7) S.C.C 704

प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के अंतर्गत Aखाली होने वाले 5% पदों की सीमा पर विचार किया गया है, जिसे उक्त पैराग्राफ 7(बी) में प्रस्तावित किया गया है, और उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए जो यह निर्धारित करता है कि समानुकंपा आधार पर नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब उद्देश्य [पैराग्राफ 17(डी) में उल्लेखित] के लिए रिक्तियाँ उपलब्ध हों। इसके अनुसार, यह तय किया गया है कि पैराग्राफ 12 उक्त में वर्णित समिति को समानुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए अनुरोध पर विचार करते समय ऐसी नियुक्ति के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और यह केवल एक वास्तव में योग्य मामले में और केवल तब ही समानुकंपा आधार पर नियुक्ति की सिफारिश करनी चाहिए जब उसके लिए निर्धारित रिक्ति एक वर्ष के भीतर उपलब्ध हो, वह भी उपरोक्त कहे गए 5% की सीमा के भीतर। इससे एक वर्ष के भीतर समानुकंपा नियुक्ति की अनुमति मिलेगी। अन्य वास्तव में योग्य मामलों के संबंध में समिति को केवल इस बात की सिफारिश करनी चाहिए कि भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के साथ मामले को उठाया जाए ताकि उन मामलों को पैराग्राफ 7(f) उक्त में प्रदत्त के अनुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जा सके|

2. 9 अक्टूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देश उपरोक्त उल्लिखित सीमा तक संशोधित किए गए हैं।

3. उपरोक्त निर्णय को सभी संबंधितों की जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया जा सकता है।

(25) उसके बाद, एक और परिपत्र दिनांक 5 मई, 2003 को जारी किया गया था,—जिसके माध्यम से यह परिचालित किया गया कि यदि 9 अक्टूबर 1998 और 3 दिसंबर, 1999 के परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार, वास्तविक और योग्य मामले में अनुकंपा नियुक्ति नियमित रिक्ति के अनुपलब्ध होने के कारण पहले वर्ष में संभव नहीं होती है, तो निर्धारित समिति इस तरह के मामलों की समीक्षा कर सकती है ताकि रिक्ति की उपलब्धता और निर्धारित कोटा के अधीन एक और वर्ष के विस्तार का आधार बनाया जा सके। अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश के लिए एक व्यक्ति का नाम विचाराधीन रखे जाने की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष होगी। यह इस शर्त के अधीन था कि निर्धारित समिति ने पहले और दूसरे वर्ष के अंत तक आवेदक की दरिद्र अवस्था की समीक्षा की हो और प्रमाणित की हो। तीन वर्षों के बाद, यदि आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना संभव नहीं होता है, तो उसका मामला अंततः बंद कर दिया जाएगा और फिर से विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 5 मई, 2003 के परिपत्र का संबंधित अंश निम्नानुसार पढ़ा जाता है:-

"2. इसलिए यह तय किया गया है कि यदि ऊपर दिए गए OMs में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार वास्तविक और योग्य मामलों में अनुकंपा नियुक्ति पहले वर्ष में, नियमित रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं है, तो निर्धारित समिति ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकती है, परिवार की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए, यह निर्णय लेने के लिए कि क्या विशेष मामले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए एक और वर्ष की विस्तारित

अवधि दी जाए, यह सब निर्धारित 5% कोटे के भीतर एक स्पष्ट रिक्ति की उपलब्धता पर निर्भर है, यदि समिति द्वारा जांच के बाद, कोई मामला योग्य समझा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम एक और वर्ष के लिए विचार के लिए जारी रखा जा सकता है।

3. अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश के लिए किसी व्यक्ति का नाम विचाराधीन रखे जाने की अधिकतम समय सीमा तीन वर्ष होगी, इस शर्त के अधीन कि निर्धारित समिति ने पहले और दूसरे वर्ष के अंत में आवेदक की दरिद्र अवस्था की समीक्षा की है और प्रमाणित किया है। तीन वर्ष के बाद, यदि आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश संभव नहीं होती है, तो उसका मामला अंतिम रूप से बंद कर दिया जाएगा और फिर से विचार नहीं किया जाएगा।

(26) उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, हमारा विचार है कि सिविल रिट याचिका संख्या 5994-CAT की 2007 में विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किया गया आदेश टिकाऊ नहीं है। विद्वान ट्रिब्यूनल ने आरोप लगाया कि आवेदक का नाम सामान्य समिति की सिफारिश के बाद छह वर्ष तक लंबित रखा गया, और इसलिए याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से काम नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया कि 5 मई, 2003 को जारी किए गए निर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

(27) विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया तर्क कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है। अनुकम्पा नियुक्ति का प्रदान किया जाना है मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को तत्काल वित्तीय संकट से उबरने के लिए। छह वर्षों की अवधि के लिए, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि कोई पद उपलब्ध नहीं था। इसलिए, विद्वान ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदक इतने लंबे समय के बाद अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता और अपने मामले को लंबित रख सकता। वास्तव में, 1998 में जारी अनुकम्पा नियुक्ति की कल्पना करते हुए सर्कुलर में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। 3 दिसंबर, 1999 के सर्कुलर में यह सोचा गया था कि समिति केवल तब सिफारिश करे जब वैकेंसी एक वर्ष के भीतर उपलब्ध होने की संभावना हो। उक्त एक वर्ष की अवधि को 5 मई, 2003 को तीन वर्षों तक बढ़ाया गया था। वास्तव में, सामान्य समिति ने नियुक्तियों की उपलब्धता की जांच किए बिना नियुक्ति के लिए सिफारिशें की थी। ऐसी सिफारिशों के निर्माण के तीन वर्षों के भीतर भी पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध नहीं थी। अतः, विद्वान ट्रिब्यूनल यह कहते हुए कानूनी रूप से उचित नहीं है कि 5 मई, 2003 की तारीखवाले निर्देश प्रतिगामी प्रकृति के नहीं हैं क्योंकि ऐसे निर्देशों के द्वारा केवल समय सीमा को एक से तीन साल तक बढ़ाया गया था। वास्तव में, 3 दिसंबर, 1999 के परिपत्र के अनुसार, नाम को लंबित रखने की समय सीमा केवल एक वर्ष थी। इसलिए, 31 अगस्त, 2006 को दिए गए आदेश, जो सिविल रिट याचिका संख्या 5994-CAT के 2007 में चुनौती का विषय है, टिकाऊ नहीं है।

(28) सिविल रिट याचिका संख्या 6962-CAT के 2007 में, आवेदक के पिता का निधन 12 मार्च, 1999 को हुआ था। सामान्य समिति ने अप्रैल, 2004 में मृतक के पुत्र-आवेदक का नाम सिफारिश की थी। ऐसे नाम को वर्ष 2006 में सूची से हटाने का आदेश दिया गया क्योंकि पहले, आवेदक शारीरिक क्षमता परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो पाया था क्योंकि उसके छाती का माप 2 इंच कम था और उसने दौड़ में भी योग्यता प्राप्त नहीं की थी। विद्वान ट्रिब्यूनल ने पाया कि उम्मीदवार का

नाम सूची में तीन वर्षों की अवधि के लिए रहना चाहिए था, जिस दिन समिति ने अप्रैल, 2004 में उसके नाम की सिफारिश की थी और, इसलिए, वर्ष 2005 में आवेदक के नाम की हटाने का आदेश अनुचित है। ऊपर दर्ज कारणों के लिए, हमारा मत है कि विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया तर्क-वितर्क कानून में टिकाऊ नहीं है। बेशक, सामान्य समिति ने वर्ष 2004 में सिफारिशें की थीं, लेकिन ऐसी सिफारिशें आवेदक के पिता की मृत्यु के 5 साल बाद की गई थीं। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, आवेदक का नाम अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता है और आवेदक के बहुमत की आयु को प्रतीक्षा करना। करुणा नियुक्ति प्रदान करने का पूरा उद्देश्य कुछ वित्तीय संकट से पार पाना है। यह नियुक्ति का स्रोत नहीं है और न ही यह एक अधिकार है। इसलिए, वर्ष 2005 में आवेदक का नाम सूची से हटाना अनुचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नाम सरकारी कर्मचारी के निधन के लगभग 7 साल बाद हटा दिया गया था।

(29) 2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 5999-CAT में, विद्वान ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष दिया है कि दो आवेदकों, सुशील कुमार और चरणजीत कौर से जूनियर व्यक्तियों को कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति दी गई है। ऐसा निष्कर्ष विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा परीक्षित कॉमन कमेटी की मीटिंग्स के आधार पर लौटाया गया था। विद्वान ट्रिब्यूनल ने आगे पाया कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल को उम्मीदवारों की योग्यता और अभाव के मूल्यांकन तथा रिक्ति की स्थिति को सिद्ध करने में विफल रहे हैं क्योंकि अदालत को दिखाया गया यह दस्तावेज बहुत स्पष्ट नहीं है। विद्वान ट्रिब्यूनल ने पाया कि 3 वर्ष की अवधि की गणना उस तिथि से की जानी है जब आवेदक के मामले की सिफारिश पहली बार कमेटी द्वारा की गई थी, न कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से। इस तथ्य के मद्देनजर, विद्वान ट्रिब्यूनल ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध किसी भी पद के खिलाफ आवेदक के मामले को अनुकंपा आधार नियुक्ति के लिए पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

(30) आवेदिका भूपिंदर कौर के पति का देहांत 2 मई, 1998 को हुआ था। उनके मामले की सिफारिश अप्रैल, 1999 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए की गई थी, परंतु 6 वर्षों के बाद यह मामला बंद कर दिया गया था। ऊपर बताए गए कारणों के लिए, विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश स्थायी नहीं है। विद्वान ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि आवेदकों सुशील कुमार और चरणजीत कौर से जूनियर लोगों को नियुक्ति दी गई है, कमेटी की मीटिंग के मिनट्स पर आधारित है। ऐसा निष्कर्ष बिना किसी याचिका के और बिना याचिकाकर्ताओं को कमेटी के मिनट्स में इस तरह की नोटिंग को स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना लौटाया गया है। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि 49 ग्रुप-सी पदों के विरुद्ध 4 पदों को पहले ही अनुकंपा नियुक्तियों के माध्यम से भरा जा चुका है और इसी प्रकार 133 ग्रुप-डी पदों में से 13 पद अनुकंपा नियुक्ति द्वारा भरे गए हैं। अतः, यह तथ्य भी विद्वान ट्रिब्यूनल के सामने लिखित बयान में दावा किया गया था और आवेदकों द्वारा विवादित नहीं किया गया था।- इसलिए, विद्वान ट्रिब्यूनल का यह कहना जायज नहीं था कि आवेदकों से जूनियर लोगों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

(31) उपर्युक्त के मद्देनजर, विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा तीनों मामलों में पारित आदेश अनुचित और अस्थायी हैं। नतीजतन, हम तीनों रिट याचिकाओं को मंजूरी देते हैं और विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हैं। आवेदक-प्रतिवादियों द्वारा दायर मूल आवेदन खर्च के आदेश के बिना खारिज किए जाते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा